

:: विज्ञप्ति::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 (01.06.2017 से 31.03.2018 तक) के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत मदिरा दुकानों के तृतीय चरण के व्यवस्थापन हेतु जनपद टिहरी की विदेशी मदिरा दुकान चम्बा हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सम्बन्धित दुकान के राजस्व का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित राजस्व					
		कुल राजस्व	लाईसेंस फीस	वार्षिक अधिभार	धरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि	प्रतिभूति की धनराशि
1	2	4	5	6	7	8	9
1	चम्बा	65390301	5231000	60159301	1307806	6539030	12031860

उपरोक्त विदेशी मदिरा दुकान को निर्धारित पूर्ण राजस्व/दैनिक आधार पर संचालित किये जाने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य के निवासी पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित पूर्ण राजस्व पर दुकान संचालन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

(संजय कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी-गढ़वाल।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या-10 /5-आब/व्यवस्थापन/2017-18/दिनांक नई टिहरी मई 2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभागीय बेबसाईट पर उक्त सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेबसाईट www.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में सरकारी दर से दिनांक 01.06.2017 को प्रकाशित होने वाले संस्करण में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सूचना पट जिला कार्यालय/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, नई टिहरी।

01/06/17
जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी-गढ़वाल।